

प्रेषक,

सुनील कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक (वैसिक)  
उ0प्र0, लखनऊ।

2- सचिव,  
उ0प्र0 वैसिक शिक्षा परिषद्,  
इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ 'दिनांक 26 अप्रैल, 2013

विषय—उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर दो वर्षीय बी0टी0सी0/विशिष्ट बी0टी0सी0/दो वर्षीय बी0टी0सी0उर्दू प्रवीणताधारी अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु आन—लाइन ई-आवेदन—पत्र/चयन प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वैसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के अर्द्ध शा0प0सं0—बै0शि0प0/323/2013-14, दिनांक 04-4-2013, अर्द्ध शा0प0सं0—बै0शि0प0/687/2013-14, दिनांक 11-4-2013 एवं अर्द्ध शा0प0सं0—बै0शि0प0/703/2013-14, दिनांक 15-4-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासनादेश संख्या-530/79-5-2013-14(10)/10, दिनांक 12.03.2013 में विज्ञापन हेतु निर्धारित तिथि 15.04.2013 के स्थान पर 20.04.2013 किये जाने, रिट याचिका संख्या-64888/2008 सुरेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.02.2013 के अनुपालन में भूतपूर्व सेनिकों हेतु निर्धारित आयु सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने तथा उ0प्र0 वैसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) के आलोक में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि दो वर्षीय बी0टी0सी0/विशिष्ट बी0टी0सी0/ दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रवीणताधारी अभ्यर्थी, जिन्होंने उ0प्र0 अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, की नियुक्ति/चयन हेतु आन लाइन ई-आवेदन/चयन प्रक्रिया/नियुक्ति की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :—

### 1- आवेदन हेतु पात्रता

(i) शैक्षिक अर्हता — सहायक अध्यापक के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 द्वारा आयोजित दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, दो वर्षीय उर्दू प्रवीणता बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हों, उ0प्र0 अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित कक्षा 1 से 5

ऐन्टु अध्यापक प्रदर्शन परीक्षा संकलनाधार्थक उत्तीर्ण किए हों। यहां यह न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग श्रेणी/स्वतंत्रा संघाम सेनानी के आश्रित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पूर्णांक 55 प्रतिशत होगा।

### (II) आयु-

सहायक अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष के, जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिए रिक्त विज्ञप्ति की जाये, अनुवर्ती वर्ष अर्थात् 01 जुलाई, 2013 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए आयु की उच्चतर सीमा में छूट "यदि सेना के किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गई सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से संबंधित शर्तों को पूरा करता है" लेकिन अभ्यर्थी की वास्तविक आयु अधिकरण आयु (62 वर्ष) से अनधिक होनी चाहिए।

परन्तु यह भी कि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

परन्तु यह भी कि दो वर्षीय बी०टी०सी०/विशिष्ट बी०टी०सी०/दो वर्षीय बी०टी०सी० उर्दू प्रवीणताधारी, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा से अधिक है तथा उन्हें विभागीय प्रक्रिया में नियुक्त नहीं दी सकी है, तो उनके लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के परन्तुक में दिए गये प्राविधिकानों के अनुसार उतने वर्ष की छूट देय होगी, परन्तु किसी भी दशा में नियुक्ति के दिनांक को अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### 2- राष्ट्रीयता एवं निवास-

ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे, जो भारत के नागरिक हैं तथा उत्तर प्रदेश में निरन्तर 05 वर्ष से निवास कर रहे हों। अभ्यर्थी का निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व संबंधित तहसील से निर्गत किया गया होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन/सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

### 3-आरक्षण-

(I) अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार देय होगा।

(II) भूतपूर्व सैनिक(स्वयं), विकलांग अभ्यर्थियों को भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में उनके संबंध में प्रवृत्त अधिनियम में उल्लिखित आरक्षण देय होगा। आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिससे वे संबंधित हैं।

#### ४- दैवाहिक प्रारिधिकी-

सहायक अध्यापक के पद हेतु चयन/नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

#### ५- चरित्र-

सहायक अध्यापक के "पद हेतु चयन/नियुक्ति के लिए संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ नैतिक अधमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे। अभ्यर्थी को सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष 10.00 रु० के नाम जूडिसियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

#### ६- आवेदन की प्रक्रिया-

- (i) किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कापी में आवेदन नहीं करना है।
- (ii) एन० आई० सी० द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार संबंधित जनपद हेतु प्रकाशित विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर आनलाइन ई-आवेदन किया जायेगा।
- (iii) सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु आनलाइन ई-आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जोकि एन०आई०सी० द्वारा विकसित वेबसाइट पर प्रारम्भ होने की तिथि से अन्तिम निर्धारित तिथि को रात्रि 12-00 बजे तक खुली रहेगी।
- (iv) अभ्यर्थियों को निर्धारित ई-आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त सूचनायें देनी होंगी।
- (v) ई-आवेदन पत्र भरने हेतु प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा बहु प्रसारित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित कराया जायेगा, जिसमें जनपद की कुल रिक्तियों की संख्या तथा उनका आरक्षण्यावार निर्धारित संख्या प्रकाशित कराया जायेगा। इसी के साथ जनपद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में ई-आवेदन पत्र भरे जाने की समय सारणी एवं वेबसाइट का पता भी निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (vi) ई-आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अन्तिम निर्धारित तिथि को रात्रि समय 12-00 बजे तक ही ई-आवेदन पत्र भरा जा सकेगा।
- (vii) अभ्यर्थी को ई-आवेदन पत्र भरने हेतु सर्वग्रहण आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात् ई-चालान से भारतीय स्टेट बैंक की जनपद की किसी भी शाखा में सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पद नाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्य दिवस के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन ई-आवेदन पत्र की अवशिष्ट प्रविष्टियां भरी जानी होंगी।
- (viii) अभ्यर्थी द्वारा अपने ई-आवेदन पत्र में जो सूचनायें अकित की जायेंगी, विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किए जायेंगे, जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष

मानवान द्वारा किया गया होता चले की लाल अन्यथा को चलन के सुधार दिया जायेगा।

- (ix) अभ्यर्थियों द्वारा अपने ई-आवेदन पत्र ने अंकित विवरण की सत्यता के संबंध में ₹० 10/- के नाम जूडीशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र चयन समिति को काउन्सिलिंग के समय दिया जायेगा जिसका प्रारूप संलग्न है।
- (x) काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसी फोटो पहचान पत्र को दिखाकर पुष्टि करानी होगी, जिस फोटो आईडी का उल्लेख ई-आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा किया गया है।
- (xi) ई-आवेदन पत्र भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के दो कार्य दिवस पूर्व तक ही आन लाइन रजिस्ट्रेशन एवं ई-चालान जमा करना अनिवार्य होगा।
- (xii) अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों की जांच चयन समिति द्वारा सत्यापन/काउन्सिलिंग के समय की जायेगी, अभ्यर्थी द्वारा ई-आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से इतर सूचनाओं को चयन समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

#### 7- आवेदन शुल्क

- (i) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को ई-आवेदन हेतु प्रति जनपद ₹० 500/-, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ₹० 200/- प्रति जनपद, सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पद नाम से ई-चालान द्वारा प्रदेश के किसी भी जनपद की किसी भी स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शाखा में जमा किया जाना होगा। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने के दो बैंक कार्य दिवस के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने आन लाइन ई-आवेदन पत्र की अवशिष्ट प्रविष्टियों को आन लाइन विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर भरा जा सकेगा।
- (ii) विकलांग अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (iii) आवेदन शुल्क जमा किए जाने के लिए सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद एवं वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से अनिवार्यतः स्टेट बैंक आफ इन्डिया इलाहाबाद के किसी भी शाखा में बैंक खाता खोला जायेगा जिसमें ई-चालान से ई-आवेदन शुल्क जमा किया जायेगा। शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक द्वारा ई-चालान से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण जनपदवार रखा जायेगा।
- (iv) आन लाइन आवेदन शुल्क की धनराशि का उपभोग एवं व्यय मितव्यता से वित्तीय नियमों के अनुसार सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद एवं वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
- (v) अभ्यर्थी आन लाइन ई-आवेदन पत्र Submit करने के बाद ई-आवेदन पत्र का प्रिन्ट प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखें। इसी के साथ ई-चालान का प्रिन्ट भी आन लाइन आवेदन के साथ प्राप्त करें। ई-चालान लेकर किसी भी जनपद के किसी भी स्टेट बैंक की शाखा में ई-चालान में उल्लिखित आवेदन शुल्क की धनराशि जमा कर आवेदक की प्रति पर मुहर लगाकर अपने पास सुरक्षित रखें।

ई—चालान में दो भाषा निर्दिष्ट होंगे एक भाषा “बैंक की भाषा” दूसरा भाषा “ज्ञायेदक की भाषा”।

- (vi) ई—चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने पर अभ्यर्थी को बैंक को कोई संया शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

#### 8—चयन समिति

- (i) अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) में प्राविधिकानित निम्नलिखित गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी :—

- 1—प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित जनपद) — अध्यक्ष
- 2—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (संबंधित जनपद) — सदस्य-सचिव
- 3—संबंधित जनपद के मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका — सदस्य
- 4—जिलाधिकारी (संबंधित जनपद) द्वारा नाम निर्दिष्ट एक भाषा — सदस्य विशेषज्ञ यथा स्थिति हिन्दी, उर्दू या अन्य भाषा

यदि उपर्युक्त रीति से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं, तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसे जाति/जनजाति या वर्ग जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, के व्यक्तियों को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

- (ii) उक्तवत् गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति से संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
- (iii) चयन/नियुक्ति के संबंध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

#### 9—चयन प्रक्रिया

- (i) अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) तथा चयननांपरान्त अध्यापक की तैनाती अध्यापक सेवानियमावली 2008 (अद्यतन यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा। चयन/नियुक्ति हेतु वरिष्ठता क्रम का निर्धारण अध्यापक सेवा नियमावली के परिशिष्ट—क में विद्यमान प्रक्रियानुसार तैयार किया जायेगा।
- (ii) चयन/नियुक्ति मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये ई—आवेदन पत्र में उल्लिखित, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परिशिष्ट—क में विद्यमान प्रक्रियानुसार जनपद स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। तत्पश्चात वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित किया जायेगा।
- (iii) अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। गुणवत्ता अंक तथा आयु दोनों समान होने पर अभ्यर्थी का चयन अंग्रेजी वर्णाली के क्रम में रखा जायेगा।

- (iv) एन०आई०सी० द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर का पासकोड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वेबसाइट पर Log-in कर सकते हैं।
- (v) अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) के परिशिष्ट-क के अनुसार कम्प्यूटर निर्मित जनपद की मूल श्रेष्ठता सूची/तत्पश्चात वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार निर्मित सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं डिजिटल हस्ताक्षर से अभिप्रापणित किया जायेगा। तत्पश्चात एन०आई०सी० द्वारा वेबसाइट पर/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर अहं एवं पात्र अभ्यर्थियों की जनपद की श्रेष्ठता सूची/चस्पा/प्रदर्शित की जायेगी।
- (vi) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञापन/कार्यालय नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करके अहं/पात्र अभ्यर्थियों को सत्यापन/काउन्सिलिंग तिथि की सूचना अधिकृत रूप से दी जायेगी।
- (vii) चयन समिति द्वारा अन्तिम रूप से अहं/पात्र अभ्यर्थियों की चयनित जनपद की श्रेष्ठता सूची एवं वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार तैयार की गई सूची अनुमोदित की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थी के समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त विद्यालयवार नियुक्ति की सूची एन०आई०सी० को उपलब्ध करायी जायेगी। एन०आई०सी० द्वारा निर्मित यांत्रिकृत (कम्प्यूटराइज्ड) नियुक्ति पत्र की समस्त प्रविष्टियों का मिलान करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम्प्यूटराइज्ड नियुक्ति पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर एवं मूल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- (viii) चयन समिति द्वारा सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख जमा करा लिए जायेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के ई-आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन संबंधित निर्मान संस्थाओं से नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। सत्यापन के उपरान्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।
- (ix) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के ई-आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से अभ्यर्थी की पहचान सत्यापन के समय की जायेगी तथा उसकी पुष्टि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई फोटो आई०डी० से भी की जायेगी।
- (x) अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग/सत्यापन चयन समिति द्वारा समस्त जनपदों में यथासंभव एक ही तिथि को किया जायेगा। ई-आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पश्चात जनपदवार श्रेष्ठताक्रम निर्दिष्ट वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा देखी जा सकती है। श्रेष्ठताक्रम के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपनी सुविधानुसार सत्यापन/काउन्सिलिंग हेतु ऐच्छिक जनपदों का चयन किया जा सकता है।
- (xi) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड गठित कराकर चिकित्सीय परीक्षण कराने के पश्चात नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।
- (xii) अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार सहायक अध्यापक के निर्धारित वेतनमान में एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर अध्यापकों की तैनाती

नियमावली 2008 (अद्यतन गणा संशोधित) के अनुसार ७०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में की जायेगी।

#### 10- आन लाइन ई-आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व

- (i) ७०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन/नियुक्ति के लिए आन लाइन ई-आवेदन पत्र हेतु साफ़टवेयर के निर्माण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। एन०आई०सी० द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि साफ़टवेयर की सुरक्षा तथा आन लाइन ई-आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न हो। इस संबंध में सचिव, ७०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के साथ आवश्यक दशायें एवं शर्तें निर्धारित कर ली जायें।
- (ii) आवेदन की प्रक्रिया की विशिष्टताओं/प्रविष्टियों आदि की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचनायें सचिव, ७०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा एन०आई०सी० लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगे, जिससे आन लाइन ई-आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी साफ़टवेयर विकसित कराया जा सके।
- (iii) आन लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क ई-चालान द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ निवेशक, बेसिक शिक्षा एवं सचिव, ७०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद सभी आवश्यक दशायें एवं शर्तें निर्धारित करेंगे। तदनुसार बैंक के साथ लिखित अनुबन्ध/एम०ओ०य० विधिक प्रालेख के रूप में संयुक्त हस्ताक्षरित कर अभिलेखित कर लेंगे।
- (iv) तकनीकी माध्यम से प्रत्येक दो कार्य दिवस में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा ई-चालान के माध्यम से प्राप्त शुल्क का जनपदवार विवरण एन०आई०सी० लखनऊ को तथा सचिव, ७०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (v) एन०आई०सी० द्वारा प्रत्येक जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर निर्धारित शुल्क लेकर तैयार करके संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर/पासकोड के संबंध में गोपनीयता एवं सुरक्षा के संबंध में विशेष ध्यान रख जायेगा तथा स्वयं की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जायेगा।
- (vi) स्टेट बैंक आफ इण्डिया के द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिससे अन्यर्थियों द्वारा आन लाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात यथा संभव उसी बैंकिंग कार्य दिवस को ई-चालान के माध्यम से बैंक में निर्धारित शुल्क सुगमता से जमा किया जा सके।
- (vii) एन०आई०सी० लखनऊ तथा शिक्षा विभाग द्वारा चयन/नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जायेगी।
- (viii) उक्त समस्त कार्यवाही अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) तथा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किए जाने के लिए चयन समिति/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

**11- व्यवन् / नियुक्ति प्राप्तेया सम्बल करावे जाने हेतु समय सारणी**

उ०प्र० बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन/चयन/नियुक्ति/तैनाती की सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 3 मई, 2013 से प्रारम्भ कर दिनांक 30 जून, 2013 तक पूर्ण कर ली जायेगी जिसकी प्रस्तावित समय सारणी निम्नवत् है :-

(1)	जनपद के बैसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि।	दिनांक 3 मई, 2013
(2)	ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन/ई-चालान जमा करने की तिथि।	विज्ञापन प्रकाशित होने के एक सप्ताह पश्चात।
(3)	ऑन लाइन ई-आवेदन पत्र भरने की तिथि।	ई-चालान जमा करने के दो कार्य दिवस पश्चात।
(4)	ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि।	प्रारम्भ करने की तिथि से 21 दिन तक।
(5)	ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन/ ई-चालान जमा करने की अंतिम तिथि।	अंतिम तिथि के दो कार्य दिवस पूर्व तक।
(6)	जनपद में श्रेष्ठता कम का निर्दिष्ट वेबसाइट पर आन लाइन प्रदर्शन।	अंतिम तिथि के एक सप्ताह पश्चात।
(7)	जनपद में अन्यथियों का काउन्सलिंग/ सत्यापन।	अंतिम तिथि के 10 दिन पश्चात।
(8)	जनपद में अन्यथियों के मूल अभिलेखों का निर्गमन संस्थाओं से सत्यापन एवं अन्यथियों का चिकित्सीय परीक्षण	काउन्सलिंग/ सत्यापन की तिथि से 10 दिन तक।
(9)	चयनित अन्यथियों के नियुक्ति एवं तैनाती की कार्यवाही।	सत्यापन/ चिकित्सीय परीक्षण के 02 दिन पश्चात।

उक्त समय सारणी उ०प्र० बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा विज्ञापन/चयन/नियुक्ति हेतु निर्धारित की गई है। इस हेतु समस्त कार्यवाही दिनांक 3 मई, 2013 से प्रारम्भ कर दिनांक 30 जून, 2013 तक उक्त निर्धारित शर्तों/प्रतिवन्दों एवं समय सारणी में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: उक्तानुसार।

  
 मर्यादिय,  
 ४५४१३  
 ( सुनीता कुमार )  
 प्रमुख सचिव।

०८

संख्या एवं दिनांक तदैव

- 1— साज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ ।
- 2— निदेशक, माध्यमिक / एस0सी0इ0आर0टी0 / साक्षरता एवं दैकलिपक शिक्षा / उच्च शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ / इलाहाबाद ।
- 3— निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, 6ठवां तल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 5— अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) / सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 6— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 7— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 8— वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
- 9— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 10— समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
- 11— सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, इलाहाबाद ।
- 12— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) / जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
- 13— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 14— मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य/प्रधान कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ ।
- 15— गार्ड फाइल ।

आङ्ग से,

३५.१३  
( सुनील कुमार )  
प्रमुख सचिव ।

प्रारूप-1

प्रारूप-1

शपथ-पत्र

मैं निवासी जनपद

शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वाभित्याधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हूँ।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-2

शपथ-पत्र

मैं निवासी जनपद

शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण ई-आवेदनपत्र में अंकित किया गया वह सत्य है, चयन/नियुक्ति किसी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर